

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0अ0सं0-10/अ0प्र0-01-01/25

53

पटना, दिनांक 22.1.26

अष्टादश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 02.02.2026 से आहूत होने की सूचना प्राप्त है। विधान मंडलीय सत्र के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यालय स्थित संबंधित प्रशाखा/कार्यालय 9.30 बजे पूर्वाह्न से देर रात्रि तक विधान मंडलीय कार्यों के निष्पादन हेतु खुले रहेंगे, जिसमें संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा वे विधान मंडलीय कार्यों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से सुनिश्चित करेंगे।

2. विधान मंडलीय सत्र के दौरान संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृत किये जाने के उपरांत ही कार्यालय/मुख्यालय छोड़ेंगे।

3. सत्रावधि में रोस्टर के अनुसार पदाधिकारी/कर्मचारी अवकाश के दिन भी कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का आदेश प्राप्त है।


  
(आदित्य प्रकाश)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 22.1.26

ज्ञापांक-10/अ0प्र0-01-01/25 891


प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/सभी अपर सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/कर्मचारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ-एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 22.1.26

ज्ञापांक-10/अ0प्र0-01-01/25 891

प्रतिलिपि:-उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 22.1.26

ज्ञापांक-10/अ0प्र0-01-01/25 891

प्रतिलिपि:-अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि विधान मंडलीय सत्र के दौरान रोस्टर ड्यूटी इत्यादि की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

  
सरकार के उप सचिव